सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

जोधपुर कृषि ....विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.48(2)आरबी/2022/3424
दिनांक : 21 जून, 2024

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 5109–5110 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(3) व 25(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए प्रो. बगदा राम चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

प्रो. बगदा राम चौधरी का दिनांक 12.06.2024 को आकस्मिक निधन हो जाने के कारण कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति का पद रिक्त हो गया है।

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(9) व 25(10) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. अरूण कुमार, कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.48(2)आरबी / 2022 / 3425 दिनांक : 21 जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. अरूण कुमार, कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान